न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, खण्डपीठ, ग्वालियर म.प्र. (85)

पुनरीक्षण याचिका क्र. ....

प्रस्तुति दिनांकः /01/2017

R 645-PBR-17

श्रीमती ममता आयु 48 वर्ष पत्नि श्री राजीव कुमार गुप्ता
निवासी– संजय वार्ड क्र.6 खिरकिया तह. खिरकिया
जिला हरदा मध्यप्रदेश .....परिवादी

विरुद्ध

1) श्रीमती श्रुति आयु व्यस्क वर्ष पत्नि श्री राहुल गुप्ता
पुत्री उदय प्रकाश गुप्ता निवासी नं.61 टी.पी.
वेणु गोपाल ले–आउट, द्वितीय क्रास रोड
गंगानाहल्ली, आर.टी., नगर बंगलूरू–560032

2) श्रीमती श्रृव्या आयु करीब 39 वर्ष पत्नि ललित सेठ
पुत्री उदयप्रकाश गुप्ता
निवासी – नं. 33 (पुराना नं. 10) प्रथम माईन रोड,
गांधीनगर, अडयार, चैन्नई– 600020 ....उत्तरवादीगण

श्री दिवाकर दीक्षित (एड.) द्वारा आज दि. 15/02/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 15.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर दीक्षित
(एडवोकेट)

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

याचिकाकर्ता की ओर से निम्नलिखित निवेदन हैः–

यह कि विद्वान निम्न न्यायालय, न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय खिरकिया जिला हरदा ने रा.प्र.क्र. 01/अ–70/2015–16 श्रीमती श्रुति व एक अन्य विरुद्ध श्रीमती ममता में दिनांक 01.01.2017 को दिये गये आदेश से क्षुब्ध व दुःखित होकर निम्नलिखित पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही हैः–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 645–पीबीआर/2017 **जिला हरदा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.4.2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार खिरकिया जिला हरदा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को आवेदक साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया गया है, जो विधिसंगत कार्यवाही है । अतः तहसील न्यायालय के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	